# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

**(I.S.O. 9001: 2015 एवं I.S.O. 14001: 2015 प्रमाणित संस्था)**

**विकास पथ, गाजियाबाद**

## सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम प्रहलादगढ़ी, जिला–गाजियाबाद के खसरा सं.–676 व 677 के भूमि क्षेत्रफल 866.60 वर्गमी. पर मै. के.एन.आर. ग्रीन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्रीमती रूबी यादव पत्नी श्री संजेश यादव एवं श्री नगेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामजी लाल यादव द्वारा सी.एन.जी. पम्प स्टेशन का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। सन्दर्भित भूमि का भू–उपयोग गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार 45.00 मी. चौड़े महायोजना मार्ग के मध्य से 22.50 मी. मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त 30.00 मी. चौड़ी महायोजना हरित पट्टी के अन्तर्गत पड़ती है, हरित पट्टी भू–उपयोग के अन्तर्गत पैट्रोल/डीजल पम्प क्रिया गाजियाबाद महायोजना हेतु प्रभावी जोनिंग रेगुलेशन में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य है। इस निर्माण की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा.वि.प्रा. के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**उपाध्यक्ष**

ई–मेल: **helplinegda@gmail.com, f: @gdagzb, t: @gdagzb**

हैल्पलाईन: 0120-3342433, व्हाट्सएप नं.: 9818988807, वेबसाईट: www.gdaghaziabad.com

**एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प**